फैक्स

कोर्ट केस/महत्वपूर्ण/बैठक

संख्या - 66/ 444/84-2-2013 रिट 1/2013

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
बांदा।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 30 अक्टूबर ,2013

विषय सिविल मिस रिट पिटीशन संख्या 35191/2013 नोटिस संख्या-30896/2013 स्वतंत्र कुमार रावत तथा अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य (जनपद बांदा) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-40/418/84-2-2013 रिट 1/2013, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आपसे किसी भिज्ञ अधिकारी को शासन में दिनांक 11.10.2013 को अपरान्ह 12.30 बजे पेनड्राइव के साथ भेजने का अनुरोध किया गया था।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र के अतिरिक्त प्रकरण की महत्ता के दृष्टिगत अनुभाग के कर्मी द्वारा दिनांक 21.10.2013 एवं दिनांक 25.10.2013 को आपसे दूरभाष पर भी शासन में तत्काल किसी को भेजने हेतु सम्पर्क किया गया किन्तु अभी तक आपके द्वारा किसी अधिकारी/कर्मचारी को शासन में नहीं भेजा गया है। यह स्थिति ठीक नहीं है। अत: कृपया दिनांक 07.11.2013 को अपरान्ह 12.30 बजे किसी अधिकारी/कर्मचारी को पेनड्राइव के साथ शासन में भेजने का कष्ट करें। ताकि प्रश्नगत रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में तत्काल प्रतिशपथ पत्र योजित किया जा सके।

भवदीय,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

पृष्ठांकन संख्या-66/444(1)/84-2-2013, तद् दिनांक

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, बांदा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shramaksh.up.nic.in